भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2167

उत्तर देने की तारीख-09/12/2024

मध्य प्रदेश में विद्यार्थियों की सहायता के लिए कार्यान्वित की गई योजनाएं

2167. श्रीमती संध्या राय:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए कार्यान्वित की जा रहीं योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) भिंड जिले में कितने विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है; और

(ग) क्या सरकार का मध्य प्रदेश के भिंड जिले में विश्वस्तरीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय खोलने का विचार है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) मध्य प्रदेश राज्य में सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रमुख केन्द्र प्रायोजित शिक्षा योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:

(i) **समग्र शिक्षा** स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसे वर्ष 2018-19 से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्री-स्कूल से लेकर कक्षा 12 तक के सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा के माहौल के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, जिसमें उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखा जाए और उन्हें अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जाए। यह योजना एनईपी और सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी-4) के अनुरूप है, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर केंद्रित है। इस योजना का लक्ष्य बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान, समग्र और एकीकृत पाठ्यक्रम और नवीन शैक्षणिक पद्धतियों को भी शामिल करना है, जिसका उद्देश्य शिक्षा में सामाजिक और जेंडर अंतर को कम करना है। मध्य प्रदेश राज्य के लिए, वित्त वर्ष

2024-25 में, परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) ने केंद्रीय हिस्से के रूप में 3842.07 करोड़ रुपये की राशि को अनुमोदित किया जिसके लिए राज्य अपने हिस्से के रूप में 2561.68 करोड़ रुपये का अंशदान करेगा। योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य को वर्ष 2024-25 के लिए अब तक 2783.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

(ii) विश्व बैंक द्वारा सहायता प्रदान किए गए **राज्यों के लिए शिक्षण-अधिगम और परिणाम सुदृढ़ीकरण (स्टार्स) परियोजना** को केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य स्कूलों में मूल्यांकन प्रणाली में सुधार लाना और सभी के लिए समान शिक्षा सुनिश्चित करना है। स्टार्स परियोजना स्कूली शिक्षा क्षेत्र के लिए समग्र शिक्षा योजना के प्रयासों का पूरक है। इसमें प्री-प्राइमरी से लेकर 12वीं कक्षा तक के शिक्षक और छात्र लाभार्थी हैं। मध्य प्रदेश राज्य के लिए, वित्त वर्ष 2024-25 में, परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) ने 349.72 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की, जिसमें से अब तक 36.70 करोड़ रुपये मध्य प्रदेश राज्य को योजना के अंतर्गत जारी किए जा चुके हैं।

(iii) **प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री)** स्कूलों की स्थापना केंद्र सरकार/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से मौजूदा स्कूलों को मजबूत करके की जाती है। इन स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सभी पहलों को प्रदर्शित करना होता है और समय के साथ अनुकरणीय स्कूल के रूप में उभरना होता है, साथ ही पड़ोस के अन्य स्कूलों को नेतृत्व प्रदान करना है। पारदर्शी चुनौती पद्धति के माध्यम से पीएम श्री स्कूलों के चयन के चौथे चरण तक मध्य प्रदेश राज्य से कुल 693 पीएम श्री स्कूलों का चयन किया गया है। योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान पहले चरण में चुने गए 416 पीएम श्री स्कूलों को 44.53 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा जारी किया गया है। इसके अलावा, परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) में चयन के चौथे चरण तक चुने गए 693 पीएम श्री स्कूलों के लिए कुल 329.09 करोड़ रुपये अनुमोदित किए गए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय हिस्से के रूप में कुल 197.45 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से अब तक योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य को वित्त वर्ष 2024-25 में 103.14 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

(iv) **प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण)** राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित की जाने वाली प्रमुख अधिकार आधारित केंद्र प्रायोजित योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के बालवाटिका (पूर्व-प्राथमिक कक्षाएं) और पहली से आठवीं कक्षा तक पढ़ने वाले बच्चों को सभी स्कूल दिवसों में एक बार गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना है। मध्य प्रदेश राज्य के लिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 में, परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) ने केंद्रीय हिस्से के रूप में 597.88 करोड़ रुपये की राशि

को अनुमोदित किया, जिसके लिए राज्य अपने राज्य के हिस्से के रूप में 364.15 करोड़ रुपये का अंशदान देगा। योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य को वर्ष 2024-25 के लिए अब तक 280.63 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा जारी किया जा चुका है।

(v) उच्चतर शिक्षा विभाग ने जून 2023 में **प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के रूप में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए)** के तीसरे चरण की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य शैक्षणिक रूप से वंचित/अल्पसुविधा प्राप्त क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए 12926.10 करोड़ रुपये का परिव्यय है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों सहित राज्य सरकार के विशिष्ट विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को वित्तपोषित करना है, ताकि निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप उनकी गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित किया जा सके।

(vi) केन्द्रीय क्षेत्र योजना **राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस)** का कार्यान्वयन इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाए, ताकि कक्षा आठ में उनकी पढ़ाई छोड़ने की प्रवृत्ति को रोका जा सके तथा उन्हें माध्यमिक स्तर पर अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष कक्षा IX के चयनित विद्यार्थियों को एक लाख नई छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं तथा राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय विद्यालयों में अध्ययन के लिए कक्षा X से XII तक उनकी पढ़ाई जारी रखने/नवीनीकृत करने का प्रावधान किया जाता है। छात्रवृत्ति की राशि 12000/- रुपये प्रति वर्ष है। छात्रवृत्ति का वितरण प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे विद्यार्थियों के बैंक खातों में करने के लिए योजना के कार्यान्वयनकर्ता बैंक भारतीय स्टेट बैंक को धनराशि जारी की जाती है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश के भिंड जिले में वर्ष 2024-25 के लिए दिनांक 04-12-2024 की स्थिति के अनुसार कुल 103428 छात्रों ने राज्य छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था।

(ग) राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय ऐप दिनांक 10 फरवरी, 2024 को लॉन्च किया गया था और इसे नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है। यह मध्य प्रदेश के भिंड जिले सहित सभी बच्चों के लिए निःशुल्क उपलब्ध है।

****